

भारतीय रिज़र्व बैंक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै

Reserve Bank of India

Rural Planning and Credit Department Regional Office, **Chennai**

लाइसेंस सं. ग्राआऋवि (चे) 12-सी/03.00.109/ 2011- 12 दिनांक 09 जनवरी, 2012

(संदर्भ लाइसेंस सं. ग्राआऋवि (चे) 1/03.00.109/ 2009-10 दिनांक 06 अप्रैल, 2010)

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ओ) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोयम्बत्त्र जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लि., कोयम्बत्त्र 641 018 को एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है:

- (क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल तमिलनाडु के कोयम्बत्तर जिला और तिरूपुर जिला के कुडिमंगलम, उदमलपेट, मडतूकुलम, अविनाशि, पल्लडम, तिरूपुर ब्लॉकों तक ही सीमित होगा।
- (ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

पहिन महिन सीडी (एम.एम.माझी) LICENSE NO.RPCD.(Che)12-C/03.00.109/2011-12 dated January 09, 2012

(Ref: License. No. RPCD.(Che)1/03.00.109/2009-10 dated March 31, 2010)

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22(1) read with Section 56(0) of the Banking Regulation Act, 1949, The Coimbatore District Central Co-operative Bank Ltd, Coimbatore – 641 018 is hereby granted a license to carry on banking business, subject to the following conditions:

- (a) The area of operation of the bank shall be confined only to Coimbatore District and Kudimangalam, Udumalpet, Madathukulam, Avinashi, Palladam,Sultanpet,Tirupur blocks of Tirupur District in TamilNadu
- (b) This license or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the date following the receipt thereof.

(M.M. Majhi) General Manager

(This license has been issued in lieu of the license issued earlier by RBI , RPCD, Regional Office Chennai vide RPCD.(Che)/1/03.00.109/2009-10 dated March 31, 2010)